

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

परियोजना का नाम:—

जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड
से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत
मार्ग बनियास तक नव निर्माण का कार्य।

क्षेत्रफल —

0.595 हे० (सिविल वन पंचायत आरक्षित वन भूमि)
(मक डिस्पोजल क्षेत्रफल)

योग—

0.595 हे०. (सिविल वन पंचायत)

लम्बाई —

5.00 कि.मी., वास्तविक लम्बाई 3.350 किमी.

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग